तथा क्या दिल्ली और बाहर की लगभग 15 फर्मों की वस्तुओं को बाजार में उनके मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेचा जाता है;

(ख) क्या चन्दन की लकड़ी, हाथी दांत, पीतल, लकड़ी और अन्य धातुओं आदि की बनी वस्तुओं को अधिकारियों द्वारा अननुमोदित निजी फर्मों से अथवा अपने संबंधियों से मन चाहे मूल्यों पर खरीदा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उन अनुमोदित और अननुमोदित फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे वस्तुएं खरीदी गई हैं?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव): (क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली सूती खादी, सिल्क खादी, ऊनी खादी और दस्तकारी की वस्तुओं के अलावा, ग्रामोद्योग के दस उत्पादों को बेचता है। खादी क्षेत्र के उत्पाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाणन समिति के अनुबन्ध तथा उसके द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बेचे जाते हैं। शेष वस्तुएं बाजार भाव तथा इसी प्रकार की विख्यात दुकानों में प्रचलित बिक्री मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी आधार पर बेची जाती हैं।

(ख) जी नहीं। खादी ग्रामोद्योग भवन खादी तथा ग्रामोद्योग के उत्पाद खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणीकृत और वित्तपोषित संस्थाओं और/अथवा राज्य खादी व ग्रामोद्योग बोर्डों से खरीदता है। जहां तक दस्तकारी की वस्तुओं का संबंध है, वे दस्तकारी का व्यापार करने वाली फर्मों से खरीदी जाती हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उन फर्मों अथवा विक्रेताओं जिनसे ये वस्तुएं खरीदी जा सकती हों, की कोई सूची अभी तक तैयार अथवा निर्धारित नहीं की है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणीकृत संस्थाओं की सूची तथा खादी और ग्रामोद्योग भवन को दस्तकारी की वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली फर्मों की सूची क्रमश: विवरण 1 व 2 में दी गई है, जो सभा पटल पर रखी गयी हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-898/80]

गैर-सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क

879. **श्री नन्द किशोर शर्मा :**

श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में विशेषकर दिल्ली/नई दिल्ली में गैर-सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को दाखिले के लिए भारी धनराशि की मांग की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) क्या यह सच है कि इस कारण गरीब लोगों के बच्चों को गैर-सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन बच्चों को उन स्कूलों में दाखिला मिल सके, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द): (क) से (घ): ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ स्कूल दाखिले के समय चन्दा लेते हैं। सरकार इसे रोकने के लिए कानूनी तौर पर यथा संभव कदम उठाएगी।

Employment to Blinds

880. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal before Government to provide employment to the blinds in the Central Government;

(b) whether any percentage reservation has been fixed for the handicapped in various undertakings;